



लेखा परीक्षा महानिदेशालय
DIRECTORATE GENERAL OF AUDIT
अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क
INDIRECT TAXES & CUSTOMS
सी.आर. बिल्डिंग, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली -110109
C.R. BUILDING, I.P. ESTATE, NEW DELHI -110109
दूरभाष / Ph. 011 - 23370075
ई-मेल / Email: dg.audit-cbec@nic.in



F.No. I/(22)/OTH/1900/2022-ADMN

Date: 11-01-2024

सेवा में /To,

जीएसटी व केंद्रीय उत्पाद शुल्क के सभी प्रधान मुख्य आयुक्त/मुख्य आयुक्त,
सीमा शुल्क के सभी प्रधान मुख्य आयुक्त/मुख्य आयुक्त,
सीबीआईसी के तहत सभी प्रधान महानिदेशक/महानिदेशक

All Pr. Chief Commissioners/ Chief Commissioners of Central GST & C.Ex.,
All Pr. Chief Commissioners/ Chief Commissioners of Customs,
All Pr. Director Generals/ Director Generals under CBIC

विषय: प्रतिनियुक्ति के आधार पर डीजी ऑडिट (मुख्यालय), नई दिल्ली में निरीक्षक के पद के लिए इच्छा।

Subject: Willingness for the post of Inspector in DG Audit (Hqrs.), New Delhi on Deputation basis-Reg.

महोदया/ महोदय,
Madam/ Sir,

लेखा परीक्षा महानिदेशालय (मुख्यालय), नई दिल्ली में प्रतिनियुक्ति के आधार पर निरीक्षकों के चार (04) पदों को भरने के लिए इच्छुक अधिकारियों के आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। सीमा शुल्क, जीएसटी और केंद्रीय उत्पाद शुल्क में अनुरूप पदों को धारण करने वाले अधिकारियों और सीबीआईसी के तहत महानिदेशालय / निदेशालय में समान पदों को धारण करने वाले अधिकारियों से समान वेतनमान में आवेदन मांगे जाते हैं।

Applications of willing officers are invited to fill up four (04) posts of Inspectors on deputation basis in the Directorate General of Audit (Headquarters), New Delhi.

Applications are sought from the officers holding analogous posts in the formations Customs, GST & Central Excise and officers holding analogous posts in the Directorate General/ Directorate under CBIC in the same pay scale.

२. प्रतिनियुक्ति की सामान्य अवधि तीन (03) वर्षों के लिए है, जिसे आगे दो (02) वर्ष (एक बार में एक वर्ष) तक बढ़ाया जा सकता है।

2. The normal period of deputation is for three (03) years, further extendable by two (02) years (one year at a time).

३. यह अनुरोध किया जाता है कि यह रिक्ति परिपत्र आपके जोन/निदेशालय के भीतर परिचालित किया जाए और इच्छुक और पात्र अधिकारियों की इच्छा इस परिपत्र के साथ संलग्न निर्धारित प्रोफार्मा में पिछले पांच वर्षों के लिए अधिकारियों की एपीएआर ग्रेडिंग, सतर्कता प्रमाण पत्र और संबंधित जोनल मुख्य आयुक्त के अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) के साथ संलग्न निर्धारित प्रोफार्मा में इस कार्यालय को अग्रेषित की जा सकती है। सभी आवेदकों को केवल उचित माध्यम के माध्यम से आवेदन करना आवश्यक है। अपूर्ण आवेदन और अग्रिम प्रति पर विचार नहीं किया जाएगा।

3. It is requested that this vacancy circular may be circulated within your Zone/Directorate and willingness of the interested and eligible officers may be forwarded to this office in the prescribed proforma enclosed with this circular along with APAR grading of the officers for the last five years, Vigilance Certificate, No Objection Certificate (NOC) of concerned Zonal Chief Commissioner. All the applicants are required to apply through proper channel only. Incomplete application and advance copy will not be entertained.

४. अधिकारियों के ध्यान में लाया जाए कि एक बार उनका चयन हो जाने के बाद, उन्हें अपना विकल्प वापस लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी और उनसे प्रतिनियुक्ति कार्यकाल की समाप्ति या उनके प्रत्यावर्तन, जो भी पहले हो, तक डीजी ऑडिट (मुख्यालय), नई दिल्ली में काम करने की उम्मीद की जाती है।

4. It may be brought to the notice of the officers that once they are selected, they will not be allowed to withdraw their option and they are expected to work in DG Audit (Hqrs.), New Delhi, till the expiry of the deputation tenure or their repatriation, whichever is earlier.

५. यदि इस कार्यालय में कार्य करते समय अधिकारियों का आचरण और कार्य संतोषजनक नहीं पाया जाता है या किसी अन्य प्रशासनिक कारणों से, अधिकारी को बिना कोई कारण बताए समय से पहले उनके मूल आयुक्तालय/निदेशालय में वापस भेज दिया जाएगा।

5. In case while working in this office, if the conduct and work of the officers is not found satisfactory or due to any other administrative reasons, the officer shall be repatriated

I/1673013/2024

to their parent Commissionerate/Directorate prematurely without assigning any reason.

६. महानिदेशालय में कार्य करते हुए चयनित अधिकारी अनुमन्य प्रतिनियुक्ति भत्ते के हकदार होंगे।

6. The selected officers while working in the Directorate General will be entitled for Deputation Allowance as admissible.

७. सभी प्रकार से पूर्ण आवेदन 31.01.2024 को या उससे पहले इस कार्यालय को भेजा जा सकता है।

7. The application complete in all respects may kindly be sent to this office on or before 31.01.2024.

यह महानिदेशक के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

This issues with the approval of the Director General.

भवदीय/ Yours faithfully,

संलग्न: यथोपरि/Encl: As Above.

(डॉ. अमनदीप सिंह)/(Dr. Amandeep Singh)

अपर महानिदेशक/ Addl. Director General

प्रतिलिपि/Copy To:

सीबीआईसी की वेबसाइट पर प्रदर्शित करने के लिए वेबमास्टर, सीबीआईसी, नई दिल्ली ।
Copy to the Webmaster, CBIC, New Delhi for displaying it on CBIC Website.